

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 1972/श्रावण 23, 1894

No. 377]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 1972/SRAVANA 23, 1894

इस भाग में भिन्न दृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August 1972

S.O. 540(E).—In exercise of the powers conferred by Section 82-B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoint Shri D. Ramchandra Raju, District and Session Judge, Anantapur, as a whole time Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the accident involving No. 223 Up Mysore-Hubli passenger train between Chakralapalli and Penukonda stations on the Mysore Division of Southern Railway on 26th April, 1972. His headquarters will be at Anantapur.

This is in supersession of this Ministry's notification of even number dated 26th June, 1972.

[No. E(O)II/72/AP-1/2.]

H. F. PINTO,
Secy., Rly. Board.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1972

एस० ओ० 540(अ).—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 82-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री डी० रामचन्द्र राजु, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनन्तपुर को उन सभी दावों का निबटारा करने के लिए पूर्णकालिक बाया आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है, जो 26-4-72 को दक्षिण रेलवे के मैसूर मंडल पर स्थित चाकलैवल्लि और पेनुकोन्डा स्टेशनों के बीच 223 अप मैसूर-दुबली सवारी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण किए गए थे। उनका मुख्यालय अनन्तपुर में होगा।

ऐसा इस मंत्रालय की 26-6-72 की समसंख्यक अधिसूचना का अतिश्रमण करते हुए किया गया है।

[सं० ई (ओ) 2/72/एपी 1/2]

एच० एफ० पिण्टो, सचिव, रेलवे बोर्ड।